भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES COURT FEE Rs.10
भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

न्यायालय :– माननीय राजस्व महोदय मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2015 निगरानी निग / 3890 – I – 15

1. रामप्रकाश पुत्र स्व. मुरलीधर राठौर निवासी ग्राम खजूरी मौजा थरा तह. अम्बाह जिला मुरैना म.प्र.
2. सुभाष } पुत्रगण
3. अशोक सिंह } रामजी सिंह ठाकुर
4. रविन्द्र सिंह } पुत्रगण
5. सुरेन्द्र सिंह } मलखान सिंह ठाकुर
   समस्त निवासीगण ग्राम जालौनी मौजा थरा तह. अम्बाह जिला मुरैना म.प्र.
6. भोगीराम सिंह पुत्र श्री कलियान सिंह ठाकुर निवासी ग्राम खजूरी मौजा थरा तह. अम्बाह जिला मुरैना म.प्र.
7. नेमीचन्द } पुत्रगण
8. पुष्पेन्द्र सिंह } श्री रामप्रकाश राठौर निवासीगण ग्राम खजूरी मौजा थरा तह. अम्बाह जिला मुरैना म.प्र.

——— आवेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 1-12-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-12-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बिरूद्ध

(1) ~~म.प्र. शासन द्वारा~~ प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय मुरैना
(2) ...

——— अनावेदकगण

1.12.15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्र.क. 143/2014–15/अपील में पारित आदेश दिनांक 26.11.2015 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

निगरानी के तथ्यः–

1. यह कि, ग्राम थरा तहसील अम्बाह जिला मुरैना स्थित भूमि सर्वे क. 3815 रकवा 1.94 है. नोईयत काबिल कास्त, एवं सर्वे क. 3816 रकवा 0.23 है., सर्वे क. 3818 रकवा 1.37 है. व सर्वे क. 3820 रकवा 1.99 नोईयत चरनोई पर आवेदकगण पूर्वजों के समय से काबिज होकर खेती करते चले आ रहे हैं तथा शासन को अर्थदण्ड भी अदा किया है।

R 3890. I/15

Xxxix(a)-BR(H)-11.

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

राम प्रकाश एंव अन्य निवासी खजूरी मौजा थरा विरूद्ध म0प्र0शासन

प्रकरण कमांक 3890 – एक/ 2015 जिला मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार अभि.व हस्ता
19-2-16	यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 143/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 26–11–2015 के विरूद्ध मध्य प्रेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक एंव म0प्र0शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि जब कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण कमांक 206/2012–13 अ–19(3) में पारित आदेश दिनांक 24–8–13 से ग्राम पृथ्वीपुरा पोरसा में केन्द्रीय विद्यालय के भूमि का स्थल निरीक्षण कराकर भूमि चयन उपरांत केन्द्रीय विद्यालय निर्माण के लिये आवन्टित/आरक्षित कर दी, तब ऐसी कौनसी परिस्थितियॉ निर्मित हुई कि विधिवत् स्थल निरीक्षण कर चयनित भूमि छोड़कर केन्द्रीय विद्यालय निर्माण हेतु ग्राम थरा की चरनोई भूमि सर्वे नंबर 3816, 3818, 3815, 3820 का रकबा 4 हैक्टर पुनः आरक्षित करना पड़ा। यह सही है कि प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय मुरैना ने पत्र दिनांक 3–2–15 से अम्बाह नगर के निकट 10 एकड़ भूमि पुनः आरक्षित किये जाने की मांग की है परन्तु केन्द्रीय विद्यालय हेतु कलेक्टर व्दारा आदेश दिनांक 17–3–15 से आरक्षित ग्राम थरा की चरनोई भूमि सर्वे नंबर 3816, 3818, 3815, 3820 का रकबा 4 हैक्टर विवादित है एंव व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 अम्बाह के प्रकरण कमांक 22/2011 ई0दी0 में पारित आदेश दिनांक 11–12–11 से इस भूमि पर स्थगन होना भी बताया गया है एंव इसी भूमि पर	

 R 3890-II/15

आवेदकगण का पूर्वजों के जमाने से कब्जा होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह के न्यायालय में प्रकरण कमांक 1/2007-08 X 57 प्रचलित रहा है एंव यह प्रकरण आदेश दिनांक 31-7-10 से निराकृत हुआ है और इसी आदेश के विरुद्ध अपर कलेक्टर मुरैना के न्यायालय में अपील कमांक 170/2009-10 आवेदकगण ने दायर की थी जो आदेश दिनंक 14-6-13 से निराकृत होकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित हुआ है। स्पष्ट है कि कलेक्टर मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 17/2014-15 अ 19 (3) में पारित आदेश दिनांक 17-3-15 से केन्द्रीय विद्यालय निर्माण हेतु आरक्षित की गई भूमि विवादित है जिसके कारण आम नागरिकों के लाभ एंव विद्यार्थियों के हितों में मामलेवाजी के चलते उक्तांकित भूमि पर विद्यालय निर्माण संभव नहीं हो पायेगा। ऐसी स्थिति में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 अम्बाह के प्रकरण कमांक 22/2011 ई0दी0 में पारित आदेश दिनांक 11-12-11 को ध्यान में रखते हुये तथा आम नागरिकों के लाभ एंव विद्यार्थियों के हितों में केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण शीघ्र किये जाने के उद्देश्य से कलेक्टर मुरैना के प्रकरण कमांक 206/2012-12 अ-19(3) में पारित आदेश दिनांक 24-8-13 से ग्राम पृथ्वीपुरा पोरसा में केन्द्रीय विद्यालय निर्माण हेतु आरक्षित की गई भूमि पर विद्यालय भवन निर्माण में सुविधा प्रतीत होती है जिसके कारण कलेक्टर मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 17/2014-15 अ-19(3) में पारित आदेश दिनांक 17-3-15 निरस्त किये जाने योग्य है और इन तथ्यों पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 143/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-11-2015 में ध्यान न दिये जाने से उनके व्दारा पारित यह आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 143/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-11-2015 एंव कलेक्टर मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 17/2014-15

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

राम प्रकाश एंव अन्य निवासी खजूरी मौजा थरा विरूद्ध म0प्र0शासन

प्रकरण कमांक 3890 – एक/ 2015 **जिला मुरैना**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभि.के हस्ता
	अ–19(3) में पारित आदेश दिनांक 17–3–15 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं । फलतः कलेक्टर मुरैना के प्रकरण कमांक 206/2012–12 अ–19 (3) में पारित आदेश दिनांक 24–8–13 यथावत् रहने से केन्द्रीय विद्यालय निर्माण हेतु ग्राम पृथ्वीपुरा पोरसा में चयनित एंव आरक्षित की गई भूमि यथावत् रखी जाती है। सदस्य	